

रा. अ. क्र.

(144)

श्रीमति जयवंती सोनी बेवा स्व. रमाकांत सोनी पेशा ग्रहणी एवं कृषक,
निवासी ग्राम देवरा प०ड०न० 21, रा०नि०म० तह० जिला डिंडौरी म. प्र.
.....अपीलार्थी.

विरुद्ध

- ११॥ म. प्र. शासन.
- १२॥ विवेक कुमार जैन आ. प्रेमचंद जैन व्यवसायी.
- १३॥ विश्वास कुमार जैन आ० प्रेमचंद जैन व्यवसायी.
- १४॥ भागवती बाई पत्नि अम्बिका प्रसाद पाठक निवासी नर्मदागंज डिंडौरी
क्र. 2 व 3 निवासी मेन रोड डिंडौरी तह. जिला डिंडौरी.

..... उत्तरवादी गण.

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 44 म० प्र० भू० रा० सं० 1959.

प्रश्नाधीन आदेश:- न्यायालय तहसीलदार डिंडौरी द्वारा रा. प्र. क्र.

27॥अ-6-अ॥05,06 नाम पक्षकार जयवंती सोनी वि० म०प्र०शासन एवं तीन अन्य
में दि. 14.12.07 को परित आदेश जिसके द्वारा आवेदिका का त्रुटिसुधार आवे.
दन निरस्त किया गया है.

प्रकरण के तथ्य:- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिक
के स्वामित्व में ग्राम देवरा ड०न० 21 में ख०न० 745/1, रकबा 0.17 हे. भूमि
दर्ज रही है परन्तु बंदो. के दौरान इस ख०न० का नक्शा 0.09 हे. का निर्मित
किया गया अतः आवेदिका ने धारा 89 म. प्र. भू. रा. सं. के तहत नक्शा सुधा
हेतु आवेदन श्रीमान अनु. अधि. डिंडौरी के समक्ष पेश किया हल्का पटवारी द्वारा
भी यह प्रतिवेदित किया गया था कि नक्शा त्रुटिपूर्ण बना है अतः अनु. अधि. द्वा
दि. 16.3.02 को त्रुटि सुधार हेतु आदेश परित किया गया तत्पश्चात अनावेदक
क्र. 2 व 3 आवेदक से असंतुष्ट हुए और उन्होंने अपर कलेक्टर महोदय को अपील

श्रीमती सोनी


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 273-11/89 जिला

148

Post

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27.4.16	<p>मुदत में रखे गए 34 दिनों में/ पिछली वृत्ति पर इनके अधिकतम 34 दिनों में मुदत एवं इनके अधिकतम का समय-समय पर मूल्यांकन करके फिर भी 34 दिनों में है</p> <p>अतः प्रकरण मूल्यांकन पर ही संशोधित किया जाता है</p>	

Handwritten mark